

समाहरणालय, दरभंगा

meeting-mmpro-26-12-15

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 28.12.2015 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

लिए गए निर्णय का सारांश

सम्बद्ध पदाधिकारी

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	<p>एम0जे0सी0 हरिदेव यादव बनाम राज्य के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा द्वारा बताया गया कि जॉच प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग को भेजा जा चुका है, जिसके आलोक में विभाग द्वारा कारणपृच्छा दाखिल करने की कार्रवाई की जायेगी। उन्हें निदेश दिया गया कि कारणपृच्छा दाखिल होने तक लगातार विभाग से समन्वय बनाये रखें।</p> <p>एम0जे0सी0 चौधरी नरेशचन्द्र राय बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है। यह मामला भूमि अतिक्रमण का है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को अंचलाधिकारी, बेनीपुर से समन्वय कर अतिक्रमणों को हटवा कर मामले में कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।</p> <p>एम0जे0सी0 अशोक कुमार मिश्रा बनाम राज्य का मामला भू-अर्जन से संबंधित है। यह मामला रसियारी पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन के मुआवजा भुगतान से संबंधित है। माननीय न्यायालय द्वारा 6 सप्ताह के अन्दर मुआवजा भुगतान का निदेश है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी इस संबंध में अविलंब अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं कारणपृच्छा दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>एम0जे0सी0 मनहर गोपाल बनाम राज्य का मामला अतिक्रमण से संबंधित है। इसका मामला समाहर्ता न्यायालय में चल रहा है।</p> <p>एम0जे0सी0 विद्यावती सिन्हा बनाम राज्य का मामला सिविल सर्जन, दरभंगा से संबंधित है। इसमें कारणपृच्छा दायर किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार इस मामले में पूरक कारणपृच्छा दाखिल किया जाना है। मामले की सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में निर्धारित है। सिविल सर्जन, दरभंगा को अविलंब अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।</p> <p>एम0जे0सी0 प्रभास कुमार बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा से समन्वय कर कारणपृच्छा शीघ्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।</p> <p>सी0डब्लू0जे0सी0 गुड्डू बाबा बनाम राज्य के मामले में 25.12.15 तक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से अतिक्रमण हटाये जाने एवं 27.12.15 तक मुख्य सचिव, बिहार, पटना को प्रतिवेदन भेजने का निदेश है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दरभंगा सदर को निदेश दिया गया कि वे अंचलाधिकारी, सदर एवं बहादुरपुर तथा जिला विधि शाखा से समन्वय कर आज ही मुख्य सचिव को प्रतिवेदन भेजवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी0डब्लू0जे0सी0 प्रदीप कुमार मिश्र बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। यह मामला भू अतिक्रमण का है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा से समन्वय कर मामले में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी0डब्लू0जे0सी0 सुनील कुमार बनाम राज्य का मामला कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 से संबंधित है। इस मामले में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश है, जिसके लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1 को निर्देशित किया गया।</p> <p>सी0डब्लू0जे0सी0 16988/08 नवीन कुमार सिंह बनाम राज्य का मामला उप विकास आयुक्त, दरभंगा से संबंधित है। यह मामला मनरेगा योजना में गड़बड़ी किए जाने से संबंधित है। उप विकास आयुक्त, दरभंगा को निदेशित किया गया कि इस मामले में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी0डब्लू0जे0सी0 9634/2015 बिहार राज्य फुथपाट दुकान एसोसिएशन बनाम बिहार राज्य का मामला नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा से संबंधित है। इस मामले में नगर आयुक्त को चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को दिनांक 21.12.2015 तक ही भेजना था। नगर आयुक्त को निदेशित किया गया कि वे आज ही उपरोक्त चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।</p>	<p>उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त/ वरीय उप समाहर्ता, जिला विधि शाखा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सिविल सर्जन, दरभंगा/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1/</p>

<p>2. सी०डब्लू०जे०सी० 18218/2015 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किरतपुर से संबंधित है। यह मामला आँगनबाड़ी सेविका को बर्खास्त किए जाने का है। इस मामले में एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी की माँग की गयी है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किरतपुर से समन्वय कर निर्धारित अवधि के अन्दर शपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० 13877/2015 वैजुकान्त मिश्रा बनाम बिहार राज्य का मामला जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से संबंधित है। मामले की सुनवाई दिनांक 21.12.15 को ही निर्धारित थी। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी इस मामले में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० कुलानन्द झा बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बिरौल एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। इस मामले में 22.12.15 के पूर्व पूरक प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना था। जिला भविष्य निधि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मामले में ओथ हो चुका है। उन्हें ओथ नम्बर आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० शंकर प्रसाद सिंह बनाम राज्य का मामला स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा से संबंधित है, जो समूह-घ के पद पर नियोजन का है। वाद की सुनवाई दिनांक 22.01.2016 को निर्धारित है। स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा इस संबंध में अविलंब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० कफील अहमद खॉं बनाम राज्य जो अंचलाधिकारी, हायाघाट एवं जिला अवर निबंधक, दरभंगा से संबंधित है। यह मामला भूमि विवाद (Enemy property) से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा अंचलाधिकारी, हायाघाट एवं जिला अवर निबंधक, दरभंगा से समन्वय कर मामले में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० कालीकान्त झा बनाम राज्य एवं सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 7946/2013 जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। ये मामले कमशः सेवांत लाम एवं जलकर बन्दोवस्ती के है। दोनों पदाधिकारियों को शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-9112/2015 दिवेश कुमार चौधरी बनाम राज्य एवं सी०डब्लू०जे०सी० मो० बेचन अंसारी बनाम राज्य का मामला निलाम पत्र वाद से संबंधित है। जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा को शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० गणेश प्रसाद राय बनाम राज्य एवं सी०डब्लू०जे०सी० 6415/2015 अबिका प्रसाद बनाम राज्य का मामला कमशः निलाम पत्र वाद एवं विभागीय कार्यवाही से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा इन दोनों मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-5438/2015 जवाहर लाल झा बनाम राज्य का मामला सेवानिवृत्त पंचायत सचिव के सेवांत लाम से संबंधित है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल से समन्वय कर शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-18388/2014 श्रीमती शोभा चौधरी बनाम राज्य का मामला आँगनबाड़ी सेविका नियोजन (कु०स्थान) से संबंधित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा इस संबंध में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य का मामला निलाम पत्र वाद से संबंधित है। जिला निलाम पत्र पदाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० राम सिंहासन सदा बनाम राज्य का मामला चौकीदार के ऐच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। वरीय उप समाहर्ता, सामान्य शाखा इस मामले में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।</p>	<p>जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा/जिला निलाम पत्र पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी</p>
--	---

<p>3.</p>	<p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-3561/2015 सुन्दर सदा बनाम राज्य का मामला भू-अतिक्रमण से संबंधित है। इस मामले में तथ्य विवरणी प्राप्त है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा अविलंब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० उपेन्द्र ना० सिंह बनाम राज्य का मामला पेंशन भुगतान से संबंधित है। माननीय न्यायालय के निदेशानुसार एक सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दाखिल होना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि वे अविलंब इस मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० सुनील यादव एवं अन्य बनाम राज्य का मामला अलीनगर प्रखंड में शिक्षक के वेतन भुगतान से संबंधित है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना इस मामले में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० आशुतोष दत्ता बनाम राज्य का मामला सरकारी जमीन पर मकान बनाने से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को अंचलाधिकारी, दरभंगा से समन्वय कर इस मामले में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-13878 बैजूकान्त मिश्रा बनाम राज्य एवं सी०डब्लू०जे०सी० चन्द्रमुखी देवी बनाम राज्य का मामला भू-अर्जन से संबंधित है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा इन दोनों मामलों में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-14138 माधुरी कुमारी बनाम राज्य का मामला हायाघाट प्रखंड में ऑगनबाड़ी सेविका नियोजन से संबंधित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी इस मामले में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० बिहारी लाल साहू बनाम राज्य का मामला भूमि विवाद से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को अंचलाधिकारी, तारडीह से समन्वय कर इस मामले में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० हमीदा खातुन बनाम राज्य का मामला पारिवारिक पेंशन/उपादान/जी०पी०एफ० भुगतान आदि से संबंधित है। स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा को अंचलाधिकारी, हायाघाट से समन्वय कर इस मामले में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० रामभूषण झा बनाम राज्य का मामला भूमि विवाद से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को अंचलाधिकारी, बेनीपुर से समन्वय कर इस मामले में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।</p> <p>सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे अपने प्रखंड/अंचल के लंबित एम०जे०सी०/सी०डब्लू०जे०सी० मामलों में एक सप्ताह के अन्दर कारणपृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि मासिक विभागीय बैठक में भी एम०जे०सी०/सी०डब्लू०जे०सी० के लंबित मामलों को रखा जाय ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। एम०जे०सी० के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए कारणपृच्छा दाखिल की जाय, अन्यथा अपील दायर की जाय। सी०डब्लू०जे०सी० के मामलों में भी समय-सीमा के अन्दर प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित किया जाय।</p>	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्ता/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी</p>
<p>4.</p>	<p>सभी प्रकार के पत्र, प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।</p>	<p>जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी</p>
<p>5.</p>	<p>कुछ संचिकाएँ अत्यंत विलंब से उपस्थापित की जा रही हैं। विलंब का कारण स्पष्ट करते हुए एवं विलंब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए संचिका का पुर्नउपस्थापन शीघ्र करने का निदेश दिया गया।</p>	<p>जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी</p>
<p>6.</p>	<p>माह जनवरी 2016 में कार्यालय प्रबंधन के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश उप विकास आयुक्त, दरभंगा को दिया गया।</p>	<p>उप विकास आयुक्त, दरभंगा</p>
<p>7.</p>	<p>लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/बाल विकास परियोजना/स्वास्थ्य/शिक्षा विभाग मिलकर स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 30.12.2015 को Hand Wash day का सफल आयोजन सुनिश्चित करावें। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करावें।</p>	<p>संबंधित विभाग के कार्यालय प्रधान</p>

8.	<p>दिनांक 31.12.2015 एवं 01.01.2016 को जिला के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों को अपना कार्यालय साफ-सुथरा करने का निदेश दिया गया था, परन्तु कुछ कार्यालय को छोड़कर अन्य कार्यालयों की अभी तक सफाई नहीं की गयी है। प्रखंड स्तर पर भी कार्यालयों की सफाई लंबित है। जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों तथा प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दो दिनों के अन्दर अपने कार्यालय/प्रखंड कार्यालय की सफाई सुनिश्चित करने का पुनः निदेश दिया गया।</p> <p>जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सभी स्वास्थ्य केंद्रों/रेफरल अस्पताल/सी0एच0सी0 आदि की सफाई सुनिश्चित करवाने तथा अस्पताल अधीक्षक को डी0एम0सी0एच0 की सफाई सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया। नगर आयुक्त को डी0एम0सी0एच0 के कचरा का उठाव सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।</p> <p>जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को दिनांक 30.12.15 तक सभी विद्यालयों की सफाई सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।</p>	<p>जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी/प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति /अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 /नगर आयुक्त/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान</p>
9.	<p>निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि सड़क के किनारे अवस्थित विद्यालयों में छात्र नामांकन अधिक दिखाकर अत्यधिक संख्या में शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना इसे अविलंब ठीक करें तथा निरीक्षण में दोषी पाए गए शिक्षकों पर आज ही कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p>	<p>जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना</p>
10.	<p>जिला स्थापना दिवस के अवसर पर बिजली विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग अपना-अपना स्टॉल लगायेंगे एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी पशु प्रदर्शनी का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>लोक स्वास्थ्य प्रमंडल एवं नगर निगम स्वच्छता यात्रा का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>जिला स्थापना दिवस के दौरान पर्चा वितरण, कृषि मेला, उन्नत फल/सब्जी प्रदर्शनी/विकलांगों के लिए ट्राई साईकिल वितरण एवं ट्राई साईकिल रेस का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।</p> <p>दिनांक 01.01.2016 को आयोजित होने वाले रक्त दान शिविर के लिए पदाधिकारियों को पूर्व में ही निबंधन करवाने का निदेश दिया गया।</p>	<p>संबंधित पदाधिकारी</p>
11.	<p>जिला स्तर पर आयोजित होने वाले जिला स्थापना दिवस के प्रत्येक कार्यक्रमों में सभी पदाधिकारियों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।</p>	<p>जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी</p>
12.	<p>विभागीय कार्यों से संबंधित Write up एवं Citizen Charter का प्रतिवेदन जिन पदाधिकारियों द्वारा जमा नहीं किया गया है, उन्हें अविलंब इसे जमा करने का निदेश दिया गया।</p>	<p>संबंधित पदाधिकारी</p>
13.	<p>परिवार कल्याण पखवाड़ा 28.12.15 से 30.12.15 तक मनाया जा रहा है। इसके लिए प्राप्त कुल लक्ष्य 4000 के विरुद्ध अभी तक मात्र 49 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई है। सिविल सर्जन, दरभंगा को शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निदेश दिया गया।</p> <p>नियमित टीकाकरण की प्रगति जिले में घटती जा रही है और यह 82 से घट कर 74 प्रतिशत तक पहुँच गया है। स्थिति में सुधार लाने का निदेश जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, दरभंगा को दिया गया।</p>	<p>सिविल सर्जन, दरभंगा/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, दरभंगा</p>
14.	<p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर के खाद्यान्न का लगभग 35 प्रतिशत उठाव हो चुका है। उन्हें उठाव में तेजी लाने तथा 10 जनवरी 2016 तक माह फरवरी का खाद्यान्न के उठाव के लिए राशि जमा करवाने का निदेश दिया गया।</p>	<p>जिला आपूर्ति पदाधिकारी</p>
15.	<p>जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अवकाश में/मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने के पूर्व अवकाश की स्वीकृति/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा उनके उस दिन के वेतन की कटौती की जायेगी एवं अन्य अनुशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी।</p>	<p>जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारी</p>
16.	<p>चड़ड़ा एण्ड चड़ड़ा कम्पनी के कर्मियों के साथ हुई दुखद घटना को दृष्टिगत रखते हुए सभी तकनीकी पदाधिकारियों/प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के निर्माण कम्पनियों के साथ समन्वय बनाये रखें। यदि उनकी कोई समस्या है तो उसकी जानकारी अविलंब अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें ताकि समस्या को दूर की जा सके।</p>	<p>जिला स्तरीय सभी तकनीकी पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी</p>

17.	निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों के मध्याह्न भोजन को अधोहस्ताक्षरी द्वारा चख कर देखा गया है एवं पाया गया है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना इसे सुनिश्चित करावें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना
18.	विद्यालयों के शौचालय का उपयोग छात्रों द्वारा किया जाय, इसे सुनिश्चित करावें एवं सभी सी0आर0सी0 को एक्टिवेट करते हुए उनके समन्वयक के साथ माह जनवरी 2016 के प्रथम सप्ताह में बैठक सुनिश्चित करावें। दिनांक 26.01.2016 तक प्रत्येक प्रखंड में एक बी0आर0सी0 तथा एक सी0आर0सी0 को मॉडल बनावें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
19.	निरीक्षण के कम में पाया गया है कि दिन के भोजन के बाद शिक्षकों द्वारा प्रायः विद्यालय बन्द कर दिए जाते हैं, इसे ठीक करवाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक एवं अभिभावक की बैठक सुनिश्चित करावें एवं टोला सेवक के माध्यम से संध्याकालीन वर्ग प्रारंभ करावें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
20.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस राशि को बच्चों के खाता में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वितरित किया जाना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि वे बच्चों के खाता की विवरणी अविलंब जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
21.	डी0एम0सी0एच0 से छपरार घाट तक नाला निर्माण की योजना का निरीक्षण भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर एवं कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है एवं पाया गया है कि 700 मीटर में से 500 मीटर तक नाला का निर्माण किया जा सकता है तथा 200 मीटर में जमीन की समस्या है। कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमण्डल को 500 मीटर में नाला निर्माण करवाने तथा 200 मीटर नाला के लिए अलग से नया प्लान बनाकर समर्पित करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमण्डल, दरभंगा
22.	दरभंगा बाई-पास सड़क के निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण में जी0एस0बी0 का कार्य प्रारंभ हो गया है लेकिन पुल का निर्माण स्थानीय लोगों द्वारा रोक दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर स्थल पर जाकर लोगों को समझा-बुझाकर कार्य प्रारंभ करावें।	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर
23.	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा को तीन दिनों के अन्दर डीजल अनुदान की शत प्रतिशत राशि का वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा
24.	नगर आयुक्त, दरभंगा को दरभंगा शहर में दो स्थानों पर Multi-level Parking के लिए स्थल चयन कर प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।	नगर आयुक्त, दरभंगा
25.	समाहरणालय परिसर में बन्द पड़े शौचालयों की शीघ्र मरम्मत कर उसे चालू स्थिति में लाने का निदेश सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को दिया गया। इसी परिसर में एन0टी0पी0सी0 द्वारा बनाये गये दो शौचालयों में जलापूर्ति सुनिश्चित करवाने का निदेश भी सहायक अभियंता को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा
26.	मार्च, 2015 तक जितने भी जन शिकायत प्राप्त हुए हैं, उसका निष्पादन दिनांक 29.12.15 तक करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री एवं आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के स्तर से प्राप्त जन शिकायतों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग को इसका लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।	सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग
27.	बहेड़ी प्रखंड के ग्राम नन्दापट्टी में उच्च स्तरीय पुल बनकर तैयार है, परन्तु पहुँच पथ में अतिक्रमण रहने के कारण पुल पर आवागमन नहीं हो रहा है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर
28.	कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा को मिर्जापुर चौक के ट्रान्सफॉर्मर को पूर्व स्थान से हटाकर सड़क के किनारे करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा

29.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा को विद्युत विपत्र ठीक करने एवं राजस्व संग्रहण के लिए शिविर आयोजित करने का निदेश दिया गया। सभी प्रखंड कार्यालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए 3 फेज विद्युत कनेक्शन देने का निदेश कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0आ0, दरभंगा को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा
30.	कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना को ग्राम इनायतपुर एवं ग्राम दुलारपुर के मजराही टोल में शीघ्र विद्युतीकरण करवाने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना
31.	जिला बेवसाईट को उन्नत बनाने का निदेश प्रभारी आई0टी0 प्रबंधक को दिया गया।	प्रभारी आई0टी0 प्रबंधक
32.	जिला स्तरीय सभी विभागीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को निदेश किया गया कि वे अपने यहाँ से निर्गत होने वाले विभिन्न बैठकों की कार्यवाही/महत्वपूर्ण निर्देश/सूचना की एक प्रति जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 सेल को उपलब्ध करावें।	जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारी

EO  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा

ज्ञाप संख्या 4635/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/12/15  
जिलाधिकारी,  
दरभंगा।